न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट उत्तर रेलवे ,वाराणसी ।

पत्रावली पेश हुयी । पुकार करायी गयी । वादी मुकदमा अनुपस्थित।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी को पुलिस द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या के संबंध में जरिये नोटिस सूचित किया गया । नोटिस तामील होने के बावजूद भी वादी उपस्थित नही आया। जारी नोटिस पर इस आशय की आख्या प्राप्त है कि वादी मुकदमा नही लडना चाहता है । माननीय उच्च न्यायालय ने कि0मिस0केस सं0 2520/12 प्रदीप कुमार श्रीवास्तव बनाम स्टेट आफ यू0पी0 वगैरह में स्पष्ट किया है कि न्यायालय में लम्बित अंतिम रिपोर्ट का निस्तारण 3 माह के अन्दर किया जाय। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में सर्रकुलर लेटर सं0 31/2012/Admin."G-II dated allahabad 11.12.2012 भी जारी किया गया है ।

प्रस्तुत मामले में विवेचक द्वारा सम्यक रूपेण विवेचना करके उपलब्ध व समयी साक्षियो का साक्ष्य अंकित करके मामले में अंतिम आख्या प्रस्तुत की गयी है । उक्त अंतिम आख्या में किसी प्रकार की त्रुटि प्रकट नही होती है ।

उक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो में विचारोपरान्त पत्रावली के अवलोकन से स्पष्टतः विवेचक द्वारा की गयी विवेचना में प्रथमदृष्टया कोई अनियमितता अथवा त्रुटि दृष्टिगत नही है । ऐसी स्थित में अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

विवेचक द्वारा प्रस्तुत मामले में प्रेषित अंतिम आख्या स्वीकार की जाती है । पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो ।

ए0सी0जे0एम
एन0आर0वाराणसी ।